रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 10, 2005/आश्विन 18, 1927
No. 1091] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 10, 2005/ASVINA 18, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2005

का.आ. 1482 (अ).— शाक सब्जियों पर मोनोक्रोटोफॉस के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के अपने आशय की घोषणा करने के उद्देश्य से कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का 46) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 644 (अ) तारीख 6 मई, 2005 के अधीन एक प्रारूप आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 मई, 2005 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई हों, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 6 मई, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त आदेश के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करने और उक्त अधिनियम के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् और इस बात का समाधान हो जाने पर कि मोनोक्रोटोफास की विनिर्मिति का शाक सब्जियों पर उपयोग मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए परिसंकटमय है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोनोक्रटोफास (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण)आदेश, 2005 है ;
(2) यह इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त होगा ।

2. (1) शाक सब्जियों पर मोनोक्रोटोफास के उपयोग पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से ही पाबंदी होगी ।

(2) मोनोक्रोटोफास के लिए अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से, जिसके अंतर्गत लेबलों और पत्रकों पर "शाक -सब्जियों पर उपयोग पर पाबंदी" स्पष्ट अक्षरों में चेतावनी की अपेक्षा को सम्मिलित करने के लिए नए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भी है, वापस मांगे जाएंगे ।

(3) उन रजिस्ट्रीकरण व्यक्तियों के संबंध में जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को इस आदेश के अनुसार इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होने के छह मास की अवधि के भीतर वापस नहीं करते है तो, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रदत्त उनकी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा या अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

(4) राज्य सरकारों को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जो वे संबंधित राज्य में इन आदेशों के निष्पादन के लिए ठीक समझें ।

[फा. सं. 17-28/94-पी पी-1]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 10th October, 2005

S.O. 1482(E).— Whereas a draft Order with a view to declare its intention to ban the use of Monocrotophos on vegetables was published in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) (hereinafter referred to as the said Act) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 644(E), dated the 6th May, 2005 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 6th May, 2005, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, (hereinafter referred to as the said Order) before the expiry of the period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th May, 2005;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government after considering the recommendations of the Expert Group constituted for the said purpose and after consultation with the Registration Committee set up under the said Act, and, on being satisfied that the use of Monocrotophos on vegetables is likely to involve health hazards to human beings, hereby makes the following Order namely :

1 (1) This order may be called the Monocrotophos (cancellation of Certificate of Registration) Order, 2005;

(2) It shall come into force on and from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

2. (1) The use of Monocrotophos on vegetables shall be banned on and from the date of publication of this Order;

(2) The certificates of registration granted for Monocrotophos shall be called back by the Registration Committee from all registrants including new registrants for incorporation of the requirement of the warning in bold letters **"BANNED FOR USE ON VEGETABLES"** on labels and leaflets.

(3) In respect of those registrants who do not return the registration certificate, as per this Order within a period of six months with effect from the date of publication of this Order, their license granted under section 13 of the said Act shall not be renewed or action under Section 14 of the Act should be taken.

(4) The State Governments shall have power to take such steps under the relevant provisions of the said Act and the rules made thereunder as they may deem fit for the execution of these Orders in the State concerned.

[F. No. 17-28/94-PP-1]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.